भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2004

जिसका उत्तर 11.12.2025 को दिया जाना है

उत्तर प्रदेश में किसानों को मुआवज़ा

2004. श्री पुष्पेंद्र सरोज:

सुश्री इकरा चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई और वे अभी भी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं, तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) कौशाम्बी और सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परियोजनावार लंबित मुआवजा भुगतानों का कुल मूल्य कितना है;

(ग) क्या किसी समीक्षा में लंबित मामलों के मुख्य कारण जैसे प्रशासनिक देरी, भूमि रिकॉर्ड विवाद या वैल्यूएशन से जुड़े मुद्दे, विशेषकर कौशांबी और सहारनपुर संसदीय क्षेत्रों में पता चले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मुआवजा संवितरण में तेजी लाने, विवाद समाधान के लिए तंत्र को मजबूत करने, प्रभावित किसानों को होने वाली कठिनाई और परियोजना के निष्पादन में विलंब को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) पिछले पांच वर्षों (30.11.2025 तक) में, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) परियोजनाओं के लिए कुल 2,08,999 भूमि-मालिकों को मुआवजा दिया गया है और 37,247 भूमि-मालिकों को अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण एक सतत् प्रक्रिया है और अधिनिर्णित राशि की तैयारी के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) जिम्मेदार होता है। हालांकि, अधिनिर्णय और संवितरण के बीच कुछ समय का अंतराल होता है, जिससे कानून के तहत चुनौती दिए जाने पर देरी हो सकती है। एनएचएआई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के एवज में कौशांबी और सहारनपुर जिलों में क्रमशः 66.81 करोड़ रुपये और 60.34 करोड़ रुपये के मुआवजे का संवितरण लंबित हैं।

(ग) सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है। भूमि अधिग्रहण में प्रमुख चुनौतियां पुराने भूमि रिकॉर्ड, विवादित स्वामित्व और सर्कल दरों के संशोधन में देरी हैं।

(घ) सरकार ने भूमि-मालिकों को मुआवजे के ऑनलाइन प्रत्यक्ष भुगतान का कार्य सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत भूमी राशी पोर्टल पर स्थानांतरित कर दिया है।

विवाद समाधान तंत्र में तेजी लाने के लिए, मध्यस्थों की नियुक्ति (राज्य की सिफारिश पर) हेतु अधिसूचना, भूमी राशी पोर्टल के माध्यम से जारी की जाती है। इसके अलावा, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, पोर्टल को आधार डेटाबेस के साथ भी एकीकृत किया गया है।

*****